

**IX-2. आकस्मिक अवकाश की अवधि**

बिहार सरकार,

वित्त विभाग ।

ज्ञाप संख्या-3/एम 1-504/77/814वि०;

पटना, दिनांक—21-1-1978 ।

सेवा में,

सभी विभाग

सभी विभागाध्यक्ष ।

विषय :— आकस्मिक अवकाश ।

निदेशानुसार अधोहस्ताक्षरी को वित्त विभाग के ज्ञाप संख्या-3/पी० आर० जी० 2-113/71-6926 वि०, दिनांक 28 जुलाई, 73 की ओर ध्यान आकृष्ट करना है जिसमें सरकारी सेवकों को एक पंचांगीय वर्ष में केवल 12 दिनों का आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करने की बात संसूचित की गई थी । आकस्मिक अवकाश की अवधि में वृद्धि करने का विषय राज्य सरकार के विचाराधीन था । इस विषय पर पूर्ण रूप से विचार करने के पश्चात् यह निर्णय लिया गया है कि दिनांक 1 जनवरी, 1978 से एक पंचांगीय वर्ष में 16 दिनों का आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया जाय तथा इस विषय पर पूर्व निर्गत आदेश उक्त तिथि से संशोधित समझा जाय ।

2. सभी अधीनस्थ कार्यालयों को इसकी सूचना दे दी जाय ।

ह०— गि० शं० दत्त  
23-1-78

( गिरजा शंकर दत्त )

सरकार के उप-सचिव, वित्त विभाग ।

**X-1 29. TRAINING.**

29(i)

**EXTRACTS FROM PROCEEDINGS OF THE SECRETARIES' MEETING HELD AT**

3-30 P. M. ON 14 TH MAY, 1956.

\* \* \* \*

3. *Training Scheme for new Recruits to the Secretariat Ministerial Service.* —The proposals circulated by the Organisation and Methods Section of the Appointment Department were approved.

Memo. no. OM-R1-1010-56A—5651, dated the 26th May, 1956. by the Deputy Organisation and Methods Officer, Appointment Department.

Copy forwarded to the Land Reforms Commissioner/the Development Commissioner/all Secretaries to Government/all Additional Secretaries to Government/Additional Deputy Secretary, Political Department/Deputy Secretary, Appointment Department/Special Officer, Appointment Department (Mr. B. D. Pande, I. C. S.), for information and necessary action.

**SCHEDULE III**

**TRAINING PROGRAMME.**

FIRST PHASE.

(Four to six weeks.)

I

1. The Organisation of the Secretariat and the Heads of Departments.

2. Functions and responsibilities of the various grades of officers in the Secretariat Departments.